ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011

नवम्बर 2011

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावना

देश में जातिवार जनसंख्या के अनुमान लगाने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पता लगाने के संबंध में जनता की बहुत अधिक रूचि रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पता लगाने के लिए पिछली कार्यवाही सन् 2002 में की गई, लेकिन उसकी कई सीमाएं थी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी) 2011 का कार्य जून 2011 को घर-घर जाकर विस्तृत रूप से प्रारम्भ हुआ। पहली बार भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इतने बड़े पैमाने पर कार्यवाई की जा रही है।

एस.ई.सी.सी. 2011 के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं:-

1. घर-घर जाकर सामाजिक-आर्थिक गणना करना जिससे परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लग जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगी।
2. प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके।
3. विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना।

2002 के बी.पी.एल. सर्वेक्षण की कमियों पर एस.ई.सी.सी. 2011 में विस्तृत रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एस.ई.सी.सी. 2011 में:-

- सारा कार्य बिना कागज-पत्र के हैण्डहेल्ड इलेक्ट्रोनिक डिवाइज़ (टेबलेट पी.सी.) पर किया जाएगा। इससे आंकड़ा प्रविष्टि में गलतियाँ और प्रगणक के स्वनिर्णय में बहुत अधिक कमी आएगी।
- सारी सूचना पूर्णतः आधार और एन.पी.आर के अनुकूल होगी।

- यह सुनिश्चित् करने के लिए कि किसी प्रकार की गलत सूचना न दी जाए, गणना चरण से ग्राम सभा के स्तर पर जनता द्वारा जाँच- सभी स्तरों पर जाँच पड़ताल की व्यवस्था की गई है।
- अधिकांश जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

इस पुस्तिका में एस.ई.सी.सी. 2011 को वर्णित किया गया है। चूँकि, यह ग्रामीण भारत से संबंधित है, अतः इसमें साधारण भाषा में पूरी कार्यवाही निर्दिष्ट की गई है।

जयराम रमेश
ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 क्या है?

भारत सरकार द्वारा देश भर के परिवारों से संबंधित सामाजिक आर्थिक संकेतकों की विशाल संख्या पर जानकारी एकत्र करने के लिए सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 कराई जा रही है। इसके तीन महत्वपूर्ण परिणाम होंगेः

- पहला, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करेगी जिससे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें यथार्थ रूप से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की एक सूची तैयार कर सकेगी।
- दूसरा, इससे देश में जनसंख्या के जातिवार ब्योरों की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
- तीसरा, यह विभिन्न जातियों का सामाजिक आर्थिक विवरण प्रदान करेगी।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 भारत सरकार के तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग के साथ राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एक साथ आयोजित की जा रही है।

2. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 क्यों कराई जा रही है?

- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर यथार्थतः से रैंक प्रदान करेगी जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान का आधार होगा।
- इससे सरकारी योजनाओं को सही लाभार्थी तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी सुपात्र लाभार्थियों को लाभ पहुँचे तथा अपात्र लाभार्थी इनका लाभ नहीं ले पाएं।

- अत्यधिक वंचित के रूप में पहचाने गए परिवारों को सरकारी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सर्वाधिक प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पहचान का कार्य पिछली बार सन् 2002 में किया गया था। इससे मिली सीख के आधार पर कार्य पद्धति को व्यापक रूप से संशोधित किया गया ताकि सम्पूर्ण कवरेज, सुनिश्चित पारदर्शिता और सामाजिक आर्थिक पैमानों के आधार पर परिवारों की पहचान का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

3. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 कब प्रारंभ होगी?

- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) २०११, २९ जून, २०११ को पश्चिम त्रिपुरा के हाजेमोरा ब्लॉक में शुरू की गई थी।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निदेश दिया था कि एसईसीसी को छह मास में अर्थात् दिसम्बर, २०११ तक पूरा किया जाए। राज्यों, जो कि वास्तव में जनगणना करवा रहे हैं, की तैयारी तथा इस संबंध में वहां प्रगति को ध्यान में रखते हुए इसे पूरे देश में पूरा करने में कुछ और समय लगेगा। आशा है कि इसे ३१ मई, २०१२ तक पूरा कर लिया जाएगा।

4. क्या सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 और योजना आयोग द्वारा लगाए गए गरीबी अनुमानों में कोई संबंध है?

एसईसीसी, २०११ सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने और उनका विश्लेषण किए जाने के बाद विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संबंध में ग्रामीण परिवारों की पात्रता एवं हकदारी का निर्धारण किया जाएगा। एसईसीसी, २०११ पूरी होने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग इस संबंध में प्रक्रियाविधि पर सहमति बनाने के लिए राज्यों, विशेषज्ञों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों से परामर्श करेंगे!

योजना आयोग की प्रक्रियाविधि का उपयोग करते हुए वर्तमान राज्यवार गरीबी अनुमानों का विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं में शामिल किए जाने वाले परिवारों की संख्या संबंधी सीमा निर्धारित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

5. क्या सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 की कार्य पद्धति का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्रः ग्रामीण क्षेत्रों की कार्य पद्धति को विभिन्न कार्य पद्धतियों के फील्ड परीक्षणों के उपरांत अन्तिम रूप दिया गया है; और इसके लिए **"सक्सेना विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों"** का संदर्भ के तौर पर प्रयोग किया गया है। फील्ड परीक्षण दो चरण में किए गए थे। पहला, एक संरचित प्रश्नावली का प्रयोग कर 254 गांवों की सामाजिक आर्थिक जनगणना की गई थी। दूसरा, अनेक अनुकूलतम मानदंडों के अनुसार उसी गांव में परिवार को रैंक देने के लिए एक सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक उपयोग में लाई गई थी। 43,000 ग्रामीण परिवारों को कवर कर रहे 29 राज्यों में फैले 161 गांवों के परिणामों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में मापदंड को अंतिम रूप देने के लिए उपयोग में लाया गया।

शहरी क्षेत्रः योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आयोजन हेतु कार्य पद्धति को अभिज्ञात करने के लिए हाशिम समिति विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की। इससे प्राप्त आंकड़ों का विशलेषण किया जाएगा और इसके आधार पर यह समिति शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों की पहचान करने की कार्य पद्धति ज्ञात करेगी।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आयोजन की प्रक्रिया क्या है?

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय और राज्य सरकार को शामिल कर आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया निम्नवत् हैः

- प्रत्येक कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट एक जिला/नगर योजना और एक संप्रेषण योजना तैयार करेगा।
- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए 24 लाख गणना ब्लाकों का उपयोग किया जाएगा-प्रत्येक गणना ब्लॉक में अनुमानतः 125 परिवार हैं। ये वही गणना ब्लॉक हैं जो कि जनगणना 2011 के दौरान बनाए गए थे। प्रगणकों को जनगणना 2011

के दौरान तैयार मानचित्र तथा संक्षिप्त मकानसूची की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे क्षेत्र का सम्पूर्ण कवरेज सुनिश्चित होगा।

- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रगणक को चार गणना ब्लॉक दिए जाएंगे और प्रत्येक 6 प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक होगा।
- प्रगणक गणना ब्लॉक में अभिज्ञात प्रत्येक परिवार का दौरा करेगा और प्रश्नावली को भरेगा। वे बेघर जनसंख्या (उदाहरणार्थ रेलवे स्टेशन, सड़क के किनारे, आदि स्थानों पर रह रहे लोग) के पास भी जाएंगे।
- प्रत्येक प्रगणक के साथ एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रहेगा।
- यह डाटा एक इलेक्ट्रानिक हैन्ड हेल्ड डिवाइस (एक टेबलेट पीसी) में सीधे लिया जाएगा। हैन्ड हेल्ड डिवाइस में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेतु भरे गए फार्मों की स्कैन इमेज प्रविष्ट होंगी। इससे भी सम्पूर्ण तथा यथेष्ट कवरेज सुनिश्चित् होगी।
- जानकारी (टेबलेट पीसी में समाविष्ट) उत्तरदाता को पढ़कर सुनाई जाएगी जो कि इसे सत्यापित करेगा। प्रगणक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक मुद्रित पावती उत्तरदाता को दी जाएगी।
- एकत्र किए गए आंकड़ों को पंचायत में सत्यापित किया जाएगा।
- किसी गणना ब्लॉक से सारी जानकारी एकत्र हो जाने के बाद सत्यापन के लिए एक प्रारूप प्रकाशन सूची तैयार की जाएगी।
- इस प्रारूप सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर इस सूची को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा के समक्ष पढ़ा जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति इसके संबंध में दावे/आपत्तियां और सूचना पदनामित अधिकरियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रारूप सूची ग्राम पंचायत, खंड विकास कार्यालय, चार्ज केन्द्र और जिला कलैक्टर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।
- यह सूची एन.आई.सी./राज्य सरकार/ग्रामीण विकास मंत्रालय/आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालयों की वेबसाइटों पर भी लोड की जाएगी। इससे पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता मिलेगी और जवाबदेही बढ़ेगी।

7. यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार अभ्यास में लाई जाऐगी?

I. सर्वेक्षण चरण

प्रगणक गणना ब्लॉक के प्रत्येक परिवार से प्रश्न पूछना

↓

गणना ब्लॉक के आंकड़ों को एकत्र करना

↓

II. सर्वेक्षण के बाद का चरण

↓

सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर स्वतः ही सूची से **हटाए जाने वाले** परिवारों की पहचान की जा सकेगी

↓

सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर स्वतः ही सूची में **शामिल किए जाने वाले** परिवारों की पहचान की जा सकेगी

↓

शेष परिवारों के वंचन का मूल्यांकन करना

↓

स्वतः शामिल होने और वंचक कारकों के आधार पर परिवारों को रैंक देना

↓

राज्य स्तरीय रैंकिग तैयार करना

↓

रैंकिग लिस्ट को राज्य सरकारों को सौंपना

↓

छत्रक के रूप में राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के गरीबी के अनुमानों का उपयोग

8. ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की जानकारी एकत्रित की जाएगी?

जानकारी व्यक्ति और परिवार के संदर्भ में एकत्रित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- व्यवसाय
- शिक्षा
- निःशक्तता
- धर्म
- अनु.जा./अनु.ज.जा. स्थिति
- जाति/जनजाति का नाम
- रोज़गार
- आय और आय का साधन
- परिसम्पत्तियाँ
- मकान
- टिकाऊ और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान
- भूमि

9. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को किस प्रकार रैंक दिया जाएगा?

परिवारों को तीन स्तरीय प्रक्रिया द्वारा रैंक दिए जाने का प्रस्ताव है।

a. परिवारों का एक समूह स्वतः अलग हो जाएगा

निम्नलिखित में से बने किसी भी एक के धारक परिवार स्वतः अलग हो जायेंगें:

- मोटर चालित दोपहिया/तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/मछली पकड़ने की नाव।
- मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण।
- 50 हजार और इससे अधिक की मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड।
- सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य के परिवार।
- सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार।
- परिवार का कोई सदस्य 10,000 रूपए प्रति मास से अधिक कमाता है।
- आयकर अदा करते हैं।
- व्यावसायिक कर अदा करते है।

- सभी कमरों में पक्की दीवारें और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे।
- रेफ्रिजरेटर है।
- लैंडलाइन फोन है।
- कम से कम 1 सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है।
- दो अथवा उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है।
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि है।

b. परिवारों का एक समूह स्वतः शामिल हो जाएगा

निम्नलिखित स्थिति वाला परिवार स्वतः शामिल हो जायेगाः

- बेघर परिवार
- निराश्रित/भिक्षुक
- मैला ढोने वाले
- आदिम जनजातीय समूह
- कानूनी रूप से मुक्त किये गये बंधुवा मजदूर

c. बाकी बचे परिवारों को सात वंचन सूचकांको का प्रयोग करते हुए रैंक दिया जाएगा। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवार को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में शामिल करने के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

निम्नलिखित वंचन सूचकांक हैंः

- कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार।
- परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है।
- निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।
- अनु.जा./अनु.ज.जा. परिवार
- ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है।
- भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं।

d. राज्य तथा उप राज्य स्तर पर परिवारों की रैंकिंग हेतु संकेतकों के अंतिम रूप से चयन संबंधी निर्णय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समूह द्वारा लिया जाएगा।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी कौन एकत्रित करेगा?

- प्रत्येक गणना ब्लॉक में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रगणक यह कार्य करेगा। उसके साथ एक डाटा एंट्री आपरेटर होगा।
- प्रगणक अपने साथ राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र लेकर आएगा।
- इसके अलावा, व्यक्तिगत विवेकाधिकार की कोई संभावना न छोड़ते हुए प्रगणक के साथ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का प्रतिनिधि और कोई अन्य नागरिक हो सकता है ताकि आंकड़े निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एकत्रित किये जाने सुनिश्चित् हों।
- यह ध्यान दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण इस प्रयोजन के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की सेवायें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं।

11. जानकारी किस प्रकार एकत्रित की जाएगी?

- प्रगणक अपने पास रखी प्रश्नावली में से उत्तरदाता से प्रश्न पूछेगा। डाटा एंट्री आपरेटर उन उत्तरों को हस्तचालित इलैक्ट्रानिक उपकरण (टेबलेट पी.सी.) में दर्ज करेगा।
- उत्तरदाता को अपने द्वारा दी जा रही जानकारी के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं दिखाना है। तथापि, उत्तरदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सही और प्रमाणिक जानकारी दे जिसका प्रगणक द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।
- आंकड़े एकत्रण का कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रगणक अपने और डाटा एन्ट्री आपरेटर द्वारा हस्ताक्षरित पावती रसीद उत्तरदाता को देगा।
- प्रगणक उत्तरदाता के मकान की बाहरी दीवार पर स्टीकर चिपकायेगा।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से आंकड़े उपलब्ध कराये जायेंगे और कहाँ पर?

मसौदा प्रकाशन सूची का मुद्रण करने के पश्चात् परिवार द्वारा अपने धर्म और जाति के नाम के बारे में दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य सभी आंकड़े, ग्रामसभा और पंचायत में पढ़कर सुनायें जायेंगे। इसके पश्चात् धर्म, जाति और जनजाति के आंकड़ों को छोड़कर व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक कर दी जायेगी।

13. गलत बयानी अथवा त्रुटियों की रोकथाम के क्या उपाय किये जायेंगे? आम जनता द्वारा जाँच पड़ताल के लिये क्या प्रक्रिया रखी गई है?

पारदर्शिता को बनाए रखने और गलतबयानी को रोकने के लिये कई उपाय किये गये हैं:

सभी आंकड़े हस्तचालित उपकरण में दर्ज़ किये जायेंगे जिससे आंकड़ों की प्रविष्टि की त्रुटियां कम होंगी और जानकारी के अंतर्वेशन अथवा गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इससे इस कार्य के लिए अपेक्षित समय और संसाधनों की आवश्यकता भी कम होगी।

- उत्तरदाता द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के बाद प्रगणक उसे दर्ज की गयी जानकारी पढ़कर सुनायेगा।
- व्यक्तिगत विवेकाधिकार के लिए कोई सम्भावना न छोड़ते हुए प्रगणक के साथ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का प्रतिनिधि और कोई अन्य नागरिक हो सकता है ताकि आंकड़े निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एकत्रित किये जाने सुनिश्चित हों।
- प्रश्नावली भरने के बाद प्रगणक उत्तरदाता को दर्ज की गयी जानकारी पढ़कर सुनायेगा और उत्तरदाता को हस्ताक्षरित पावती रसीद देगा। यदि उत्तरदाता असहमत है तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जायेगा। प्रगणक जांच करेगा, तथ्यों का सत्यापन करेगा और सही पाए जाने पर आकड़ों को परिवर्तित करेगा। प्रगणक इसके बारे में पर्यवेक्षक को जानकारी देगा जो कि इस प्रकार की जानकारी में अन्तर वाले परिवार का दौरा करेगा।
- मसौदा सूची ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय, चार्ज केन्द्र और जिला कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी। यह सूची एन.आई.सी. /राज्य सरकार/ ग्रामीण विकास मंत्रालय/आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- मसौदा सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर ग्राम सभा की बैठक की जाएगी। ग्राम सभा की बैठक में प्रत्येक परिवार के नाम और उत्तर पढ़कर सुनाए जायेंगे। इस बैठक में किये गये सभी दावों और आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा तथा इनका निपटान किया जाएगा।
- हस्तचालित इलेक्ट्रानिक उपकरण से आंकड़ों को सीधे डाटाबेस में अपलोड किया जाएगा। इससे त्रुटियों और छेड़छाड़ की संभावना समाप्त होगी जो कि मैनुअल आंकड़ा प्रविष्टि कार्य

में हो सकती है।

- संम्पूर्ण दिशानिर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक समूह (उच्च प्रतिष्ठा वाले संस्थान) की सूची तैयार की जा रही है ताकि आंकड़े सही और निष्पक्ष रूप से एकत्रित किये जा सकें।

14. समाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 को जनगणना अधिनियम 1948 के अधीन क्यों नहीं किया गया?

जनगणना अधिनियम, 1948 के अधीन एकत्रित व्यक्तिगत ब्योरे गोपनीय रखे जाते हैं। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आंकड़ों (जाति संबंधित आंकड़ों को छोड़कर) को सार्वजनिक किया जाएगा। तथापि, दशकीय जनगणना में प्रयुक्त प्रशासनिक तंत्र का ही उपयोग करके सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की जा रही है।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011, बी.पी. एल जनगणना 2002 से किस प्रकार बेहतर है?

	बी.पी.एल. 2002	एस.ई.सी.सी. 2011	बी.पी.एल. 2002 के सन्दर्भ मे लाए गए नवाचार
1. उपयोग में लाए गए मापदण्ड	13 सामाजिक-आर्थिक सूचकांको के साथ पहचानी गई बी.पी.एल. जनसंख्या के परिणामों में त्रुटियों का बहुत अधिक सम्मिलन और अपवर्जन रहा।	बी.पी.एल. जनसंख्या को पहचानने वाले के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित मानदण्ड के ३ घटक हैः स्वतः अपवर्जन स्वतः सम्मिलन और सात वंचन सूचकांकों के आधार पर रैंकिंग।	सम्मिलन/अपवर्जन की सीमा रेखा को काफी हद तक कम कर दिया गया हैः ❖ स्वतः अपवर्जन का मानदण्ड अपात्र परिवारों के बी.पी. एल. सूची में प्रवेश पाने की सम्भावना को कम करता है। ❖ स्वतः सम्मिलन का मानदण्ड सबसे पात्र परिवारों के बी.पी. एल. सूची में शामिल होने की सम्भावना को बढ़ा देता है।
2. आकड़ो का सत्यापन और जनता द्वारा जांच	जानकारी को जनता से सत्यापित नहीं कराया गया।	गणना स्तर पर पर्यवेक्षक, ग्राम सभा और राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों द्वारा सत्यापन	विभिन्न स्तरों पर जनता द्वारा जांच, जानकारी का सत्यापन और अधिक पारदर्शिता
3. स्कोर पद्धति	52 बिन्दुओं की जटिल पद्धति	आसान पद्धति के साथ वर्गीकरण के 4 तरीके	ग्रामवासी आसानी से समझ सकते हैः आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है आसानी से सत्यापन, प्रगणक की अपनी समझ का कम इस्तेमाल, बी.पी.एल. जनगणना 2002 में प्रयोग में लाए गए विशिष्ट सुविधाओं (जैसे शौचालय इत्यादि) आधारित मानदण्ड का उपयोग नहीं किया जाता।
4. मैनुअल बनाम इलैक्ट्रॉनिक	आकड़ों की प्रविष्टि छपे फार्मों से हाथ से की गई	हैंडहेल्ड इलेक्ट्रोनिक डिवाईस (टेबलेट पी.सी.) से आकड़ों की सीधी प्रविष्टि	कागज-मुक्त पद्धति दक्षता बढ़ाती है, सटीकता बढ़ती है, आंकड़ो को दोहराव और उनके गलत होने की सम्भावन नहीं रहती।।
5. एकत्रित आंकड़ो की उपयोगिता	कार्यक्रम की मध्यस्थता हेतु विभिन्न मंत्रालयों को आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए	आंकड़ो का एम. आई. एस. में प्रदर्शन, आधार एवं एन. पी. आर. के साथ पूरी तरह अनुकुल, विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, पी. आर. आई. एवं नागरिकों के उपयोग के लिए सुलभ	पारदर्शिता ; योजनाओं के लिए आंकड़ो का उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों को लक्षित करके किया जा सकता है; अनुसंधान एवं विश्लेषण के लिए सुविधाजनक, जनता द्वारा जांच
6. जनगणना का प्रकार	2002 का बी. पी. एल. एकल रूप में किया गया	एस. ई. सी. सी. 2011 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से जाति की गणना के सांथ किया जा रहा है।	व्यापक डाटावेस का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। जाति आधारित आंकड़ों की निजता बनाए रखते हुए जाति को आर्थिक विकास के स्तर से जोड़ने से जाति के उतार-चढाव को और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित लघु हस्तचालित उपकरण (पी.सी.)

मुख्य विशेषताएँ

- प्रभावी गणना का साधन तथा उपलब्ध उपकरण
- इसका वजन 1 कि.ग्रा. है तथा इसे हस्तचालित उपकरण के रूप में कहीं भी ले जाया जा सकता है
- 7 इंच एल.सी.डी. रंगीन डिस्प्ले
- टच स्क्रीन, नेविगेशन-की तथा की-बोर्ड
- ईथरनेट के माध्यम से इंटरनेट संपर्कता, 2 यू.एस.बी. पोर्ट
- इसके विविध कार्यों में सोलर बैटरी का उपयोग किया जा सकता है।